

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:— 12/47/2021

रजि0 न0 2021/84

अपीलार्थी:—

श्री प्रतापसिंह एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस
बहरोड़, तहसील बहरोड़ जिला अलवर,
(राजस्थान)

प्रत्यर्थी:—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0
जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:— 12.04.2021

8. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
1. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 23.03.2021 को उपस्थित आवे।
3. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/745 दिनांक 25.03.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, कि उक्त पत्र दिनांक 28.09.2020 कार्यालय अभिलेखानुसार अप्राप्त रहने के कारण, पत्र संख्या 201-02 दिनांक 25.01.2021 के माध्यम से विनिपश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है साथ ही अवगत कराया है की प्रा0पत्र दिनांक 18.02.21 व प्रथम आवेदन दिनांक 16.01.21 में वांछित सूचना संबंधी पत्र कार्यालय को प्राप्त ही नहीं होने के कारण किसी प्रकार की सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
4. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
5. निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
6. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(नन्मूल पहाड़िया)
जिला कलेक्टर, अलवर